504

# बिहार सरकार

## अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3 / निदे0आ0वि0 / छात्रा0–16–01 / 2022– 3212

प्रेषक,

श्याम बिहारी मीणा (भा0प्र0से0),
**निदेशक।**

सेवा में,

सभी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 13/06/202

विषय–विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ष–2023–24 के लिए अवकाश तालिका एवं विद्यालयों में गुणात्मक सुधार हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्ष–2023–24 के लिए अवकाश तालिका एवं विद्यालयों में गुणात्मक सुधार से संबंधित दिशा–निर्देश निम्नवत् है:–

1. अवकाश तालिका– वर्ष–2023–24 (अध्याय–I)
2. आवासीय विद्यालय की दिनचर्या (अध्याय–II)
3. सदन प्रणाली (अध्याय–III)
4. आवासीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली खेल–कूद कार्यक्रम (अध्याय–IV)
5. सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ (अध्याय–V)
6. विद्यालय कप्तान एवं वर्ग कप्तान (अध्याय– VI)
   कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
7. विद्यालय के प्राचार्य / अधीक्षकों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश (अध्याय– VII)
8. विद्यालय दैनिकी पुस्तिका
9. बैगलेस सुरक्षित शनिवार एवं सामान्य दिशा–निर्देश
10. उपलब्धि रिकार्ड प्रपत्र

उपर्युक्त कंडिकाओं के आलोक में अवकाश तालिका एवं विद्यालयों के सफल एवं सुगम संचालन से संबंधित दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

निदेश दिया जाता है कि उक्त कंडिकाओं का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13.6.23
निदेशक।

400



ज्ञापांकः–3 / निदे0आ0वि0 / छात्रा0–16–01 / 2022– 3212 पटना, दिनांक– 13/06/2023

प्रतिलिपिः–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.6.23
निदेशक।

ज्ञापांकः–3 / निदे0आ0वि0 / छात्रा0–16–01 / 2022– 3212 पटना, दिनांक– 13/06/2023

प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक कल्याण / सभी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका, आवासीय विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.6.23
निदेशक।

# अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ0 भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों से विषय सूची –

## विषय सूची


| क्र0 सं0 | विषय | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|
| 1 | अवकाश तालिका वर्ष 2023–24 (अध्याय–I) | 3–5 |
| 2 | आवासीय विद्यालयों की दिनचर्या (अध्याय–II) | 6–9 |
| 3 | सदन प्रणाली (अध्याय–III) | 10–13 |
| 4 | आवासीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली खेल–कूद कार्यक्रम (अध्याय–IV) | 14–18 |
| 5 | सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियॉं (अध्याय–V) | 19–22 |
| 6 | विद्यालय कप्तान एवं वर्ग कप्तान (अध्याय–VI) | 23 |
| 7 | विद्यालय के प्राचार्य/अधीक्षकों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश (अध्याय–VII) | 24–28 |
| 8 | विद्यालय दैनिकी पुस्तिका | 29–44 |
| 9 | वार्षिक कैलेन्डर 2023–24 | 45–50 |
| 10 | सरकार के सचिव के पत्रांक 4522 दिनांक 11.08.1998 | 51–61 |
| 11 | बैगलेस सुरक्षित शनिवार एवं सामान्य दिशा–निर्देश | 62–106 |
| 12 | शिक्षकों के मासिक कार्ययोजना का प्रपत्र | 107–172 |
| 13 | प्रगति रिपोर्ट कार्ड (progress report chart) | 173–255 |

# अध्याय–I

## डॉ0 भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय हेतु अवकाश (वर्ष 2023–24)

1. दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 27.06.2023 तक ग्रीष्मावकाश (कुल–21 दिन)
2. दिनांक 20.10.2023 से दिनांक 22.11.2023 तक दुर्गापूजा/दीपावली/छठ पूजा (कुल–34 दिन)
3. दिनांक 23.03.2024 से दिनांक 27.03.2024 तक होली अवकाश (कुल 05 दिन)

| दिनांक | दिन का नाम | कार्यपालक आदेश/ऐच्छिक अवकाश/एन.आई.एक्ट,1881 के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश (केवल जानकारी हेतु) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | माह–अप्रैल,2023 |
| 04.04.2023 | मंगलवार | महावीर जयंती |
| 07.04.2023 | शुक्रवार | गुड फ्राईडे |
| 14.04.2023 | शुक्रवार | डॉ0 भीमराव अम्बेदकर जयंती |
| 21.04.2023 | शुक्रवार | रमजान का अंतिम जुमा (ऐच्छिक अवकाश) |
| 22.04.2023 | शनिवार | ईद–उल–फितर |
| 23.04.2023 | रविवार | वीर कुंवर सिंह जयंती |
| 29.04.2023 | शनिवार | जानकी नवमी |
| | | माह–मई,2023 |
| 01.05.2023 | सोमवार | मई दिवस |
| 05.05.2023 | शुक्रवार | बुद्ध पूर्णिमा |
| | | माह–जून.2023 |
| 04.06.2023 | रविवार | कबीर जयंती |
| 29.06.2023 | गुरुवार | ईद–उज–जोहा |
| 30.06.2023 | शुक्रवार | ईद–उज–जोहा(ऐच्छिक अवकाश) |

| | | |
|---|---|---|
| **माह–जुलाई,2023** | | |
| 29.07.2023 | शनिवार | मुहर्रम |
| 30.07.2023 | रविवार | मुहर्रम (ऐच्छिक अवकाश) |
| **माह–अगस्त,2023** | | |
| 15.08.2023 | मंगलवार | स्वतंत्रता दिवस |
| 28.08.2023 | सोमवार | अंतिम श्रावणी सोमवार (ऐच्छिक अवकाश) |
| 30.08.2023 | बुधवार | रक्षा बंधन (ऐच्छिक अवकाश) |
| **माह–सितम्बर,2023** | | |
| 06.09.2023 | बुधवार | श्री कृष्ण जन्माष्टमी / चेहल्लुम |
| 17.09.2023 | रविवार | विश्वकर्मा पूजा (ऐच्छिक अवकाश) |
| 28.09.2023 | गुरुवार | हजरत मो0 साहब का जन्म दिवस एवं अनन्त चतुर्दशी (ऐच्छिक अवकाश) |
| **माह–अक्टूबर,2023 एवं नवम्बर,2023** | | |
| 02.10.2023 | सोमवार | महात्मा गा¡धी जयंती |
| 11.10.2023 | बुधवार | जयप्रकाश नारायण जंयती (ऐच्छिक अवकाश) |
| 15.10.2023 | रविवार | दुर्गा पूजा कलश स्थापन (ऐच्छिक अवकाश) |
| **माह–दिसम्बर,2023** | | |
| 03.12.2023 | रविवार | डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जयंती (ऐच्छिक अवकाश) |
| 24.12.2023 | रविवार | क्रिसमस दिवस (ऐच्छिक अवकाश) |
| 25.12.2023 | सोमवार | क्रिसमस दिवस |

| माह जनवरी,2024 | | |
|---|---|---|
| 01.01.2024 | सोमवार | नव वर्ष |
| 15.01.2024 | सोमवार | मकर संक्राति |
| 24.01.2024 | मंगलवार | कर्पूरी ठाकुर जयंती (ऐच्छिक अवकाश) |
| 26.01.2024 | शुक्रवार | गणंतत्र दिवस |
| माह–फरवरी,2024 | | |
| 14.02.2024 | बुधवार | वसंत पंचमी |
| माह–मार्च,2024 | | |
| 18.03.2024 | सेमवार | महाशिवरात्रि |
| 22.03.2024 | शुक्रवार | बिहार दिवस |

नोट :–

(i) चाँद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के अवकाश की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।

(ii) उपर्युक्त वर्णित प्रतिबंधित (ऐच्छिक) अवकाशों में से पूरे वर्ष में किन्हीं तीन अवकाशों (अधिकतम तीन) का उपयोग किया जा सकेगा। इस हेतु कर्मियों को सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमोदन लेना होगा। सरकारी काम -काज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ऐसे अवकाश की मंजूरी दी जायेगी।

# अध्याय–II

## आवासीय विद्यालय की दिनचर्या

आवासीय विद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रमंडलीय उपनिदेशक के द्वारा जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी तथा प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ सत्रारंभ के पूर्व बैठक कर दिनचर्या निर्धारित की जाएगी। दिनचर्या निर्धारण में विभागीय पत्रांक–4522, दिनांक–11 अगस्त, 1998 की कंडिका–3 में वर्णित गतिविधियों को सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाएगा।

दिनचर्या निर्धारण में वर्ग–संचालन के अतिरिक्त, प्रातः सभा, खेल–कूद, सांस्कृतिक गतिविधि, पुस्तकालय–कक्षा को सम्मिलित करना अनिवार्य है।

**A.** विद्यालय में आयोजित की जाने वाली प्रातः सभा, खेल–कूद एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में एकरुपता बनाने के उद्येश्य से निम्न सांकेतिक कैलेण्डर दिया जा रहा है:–

| ग्रीष्मकालीन | | शीतकालीन | |
|---|---|---|---|
| गतिविधि | समय | गतिविधि | समय |
| शय्या त्याग एवं नित्यक्रिया | 5:30–6:00 पू0 | शय्या त्याग एवं नित्यक्रिया | 5:50–6:20 पू0 |
| व्यायाम | 6:00–6:30 पू0 | व्यायाम | 6:20–6:50 पू0 |
| साफ–सफाई एवं जलपान | 6:30–7:00 पू0 | साफ–सफाई एवं जलपान | 6:50–7:20 पू0 |
| प्रातः सभा | 7:00–7:30 पू0 | स्वाध्याय | 7:20–8:20 पू0 |
| वर्ग | 7:40–9:40 पू0 | प्रातः सभा | 8:40–9:10 पू0 |
| लघु अवकाश | 9:40–10:00 पू0 | वर्ग | 9:20–12:20 अप0 |
| वर्ग | 10:00पू0–1:00 अप0 | दोपहर भोजन | 12:20–1:30 अप0 |
| दोपहर भोजन | 1:00–2:00 अप0 | विश्राम | 1:30–2:00 अप0 |
| विश्राम | 2:00–3:00 अप0 | वर्ग | 2:00–4:00 अप0 |
| स्वाध्याय | 3:00–4:00 अप0 | नाश्ता | 4:00–4:30 अप0 |
| नाश्ता | 4:00–4:30 अप0 | खेल–कूद | 4:30–5:30 अप0 |
| खेल–कूद | 4:30–5:30 अप0 | विश्राम | 5:30–6:00 अप0 |
| स्वाध्याय | 6:00–8:00 अप0 | स्वाध्याय | 6:00–8:00 अप0 |
| रात्रि भोजन | 8:00–9:00 अप0 | रात्रि भोजन | 8:00–9:00 अप0 |
| रात्रि विश्राम | 10:00 अप0 | रात्रि विश्राम | 10:00 अप0 |

नोटः 1. शनिवार को (मात्र पूर्वाह्न) शिक्षा विभाग द्वारा घोषित बैगलेस शनिवार का आयोजन किया जाएगा (मार्ग निदेशिका संलग्न)। वर्ग 9 से 12 तक के छात्रों के लिए का काउंसिलिंग सत्र (session) आयोजित किया जायेगा। (यह दोनों कार्य 9.30 से 12.30 तक कर लिया जायेगा।

2. रविवार को विद्यालय प्रधानाध्यापक शिक्षकों के सहयोग से गैर शैक्षणिक गतिविधियों, यथा–बागवानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे। रविवार की गतिविधियों का मासिक कैलेण्डर विभागीय कैलेण्डर का संदर्भ लेकर विद्यालय प्रधान, छात्रावास प्रबंधक के सहयोग से अग्रिम तैयार कर जिला कल्याण कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

B. विद्यालय के दैनिक कैलेण्डर में सम्मिलित प्रातः सभा का आयोजन सुनिश्चित करने तथा प्रातः सभा में शामिल की जाने वाली गतिविधियों में एकरुपता के लिए सभी विद्यालयों में प्रातः सभा (अविध 30 मिनट) के आयोजन को निम्न विवरण अनुरुप विनियमित किया जाए:–

सभी आवासीय विद्यालयों में दिन की शुरुआत प्रातः सभा से होगी। सभी छात्र विद्यालय परिसर के खुले स्थान (मैदान) में एकत्र होंगे तथा वर्गवार पंक्ति में खड़े होंगे। प्रत्येक कक्षा के साथ एक शिक्षक होंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अनुशासित रहें।

प्रातः सभा का संचालन क्रमिक रुप से सदनों के द्वारा सप्ताहिक रुप से किया जाएगा(सदन के संदर्भ में विस्तृत विवरण अध्याय–III में दी गई है)।

1. <u>विद्यालय प्रार्थना / गान (5 मिनट)</u> :–"हम होंगे कामयाब" सभी बच्चे इसे समूह में गायेंगे।
2. <u>आज का समाचार (10 मिनट)</u> :– संबंधित सदन के चयनित छात्र द्वारा अंग्रेजी एवं हिन्दी में समाचार पढ़ा जायेगा। समाचार के विषय होंगे–राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, खेल, सम्पादकीय। <u>प्रत्येक विषय के समाचार पर चर्चा</u> आवश्यक होगी। प्रत्येक विषय पर एक शीर्षक होगा तथा उसपर दो पंक्तियां बोली जायेंगी। संबंधित शिक्षक एवं छात्र इसकी तैयारी अग्रिम रुप से सुबह में ही कर लेंगे।
3. <u>आज का विचार (अंग्रेजी में)(1 मिनट)</u> :–सोमवार से गुरुवार को किसी विशिष्ट व्यक्ति का वक्तव्य अथवा प्रचलित कहावत इत्यादि, बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस विचार को अंग्रेजी में बोलने के पश्चात् इसे हिन्दी में दो वाक्यों में समझाया जायेगा।
4. <u>आज का शब्द (अंग्रेजी में) (1 मिनट)</u> :– सोमवार से गुरुवार को बच्चों के समक्ष एक नया अंग्रेजी का शब्द प्रस्तुत किया जायेगा। इस शब्द का अर्थ हिन्दी में भी समझाया जायेगा। इस शब्द का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण दिया जायेगा।

   आज का समाचार, विचार एवं आज का शब्द दोनों हिन्दी में अर्थ के साथ प्रत्येक दिन मुख्य द्वार के सूचना पट्ट पर भी लिखा जायेगा ताकि बच्चे इन्हें सीख सकें।
5. <u>संविधान की प्रस्तावना (Preamble to the Constitution)</u> :– शुक्रवार को भारत का संविधान की प्रस्तावना (Preamble to the Constitution) छात्रों द्वारा सामूहिक रुप से अंग्रेजी में तथा शनिवार को हिन्दी में पढ़ा जायेगा।
6. <u>राष्ट्रीय प्रतिज्ञा **(National Pledge)**(1 मिनट)</u> :- हाउस कप्तान द्वारा राष्ट्रीय प्रतिज्ञा एक दिन अंग्रेजी में तथा एक दिन हिन्दी में बच्चों द्वारा उक्त सप्ताह में सामूहिक रुप से पढ़ा जायेगा।
7. <u>महत्वपूर्ण विशिष्ट तिथियों पर विशेष आयोजन (15 मिनट)</u> :– जिस दिन महापुरुषों का विशेष दिन, चाहे उनका जन्म दिन हो या निर्वाण, वर्षगांठ या कोई अन्य विशेष दिन, उस दिन प्रातः सभा 15 मिनट अधिक अवधि की होगी। इस दिन प्रत्येक वर्ग समय से दो–दो मिनट कम किये जायेंगे। ऐसे विशेष आयोजनों के लिए विद्यालय कैलेण्डर का पालन

किया जायेगा। इस सत्र में उस विशेष व्यक्तित्व से संबंधित छात्रों द्वारा नारे पढ़ें जायेंगे, उनकी उपलब्धियों और समाज के लिए उनके योगदान के बारे में बताया जायेगा। उस विशेष दिन के महत्व पर भाषण दिया जायेगा, इत्यादि।

8. <u>प्रधानाध्यापक का संबोधन **(Prinicpal's Address)**(5 मिनट) (आवश्यकतानुसार ही)</u> :- प्रधानाध्यापक के द्वारा संबोधन आवश्यकतानुसार महापुरुषों की जीवनी, परिनिर्वाण दिवस, अन्य महत्वपूर्ण दिवस, विशेष घटना/जयन्ती/छात्रों के लिए विभाग स्तर से देय सुविधा/कॅरियर संबंधी जानकारी/बोर्ड परीक्षा की तैयारी/अन्यान्य किसी भी छात्रोपयोगी जानकारी छात्रों को बताई जाएगी।

9. <u>राष्ट्रीय गान **(National Anthem)**(52 सेकेण्ड)</u> :- राष्ट्रगान सामूहिक रुप से गाया जाएगा। इसके साथ ही प्रातः सभा की समाप्ति होगी। सभा की समाप्ति के उपरांत सर्वप्रथम सभी छात्र वर्गवार कतार में अपनी कक्षा के लिए प्रस्थान करेंगे। सबसे पहले सबसे निम्न कक्षा के छात्र जायेंगे, फिर अगली कक्षा के छात्र।

प्रातः सभा की तैयारी, संचालन शारीरिक शिक्षक की देख रेख में होगा। विद्यालय के अन्य शिक्षक इस कार्य में शारीरिक शिक्षक को अपेक्षित सहयोग देंगे। विद्यालय कप्तान के द्वारा प्रातः सभा का नेतृत्व किया जाएगा(विद्यालय कप्तान के संबंध में विस्तृत विवरण अध्याय–VI में दिया गया है)।

प्रत्येक सदन के विभिन्न छात्रों द्वारा सप्ताह में प्रत्येक दिन कंडिका–1, 2, 3, 4 एवं 5 का अनुपालन किया जायेगा। स्कूल कप्तान प्रातः सभा का संचालन करायेंगे।

# अध्याय–III

## सदन प्रणाली (House System)

सभी आवासीय विद्यालयों में सदन प्रणाली **(House System)**लागू किया जायेगा।

**1.उद्येश्य** :– इस प्रणाली से बच्चों में नेतृत्व की क्षमता, उत्तरदायित्व का ज्ञान, समय प्रबंधन, संचालन कौशल इत्यादि का विकास होगा। साथ ही सभी उम्र के छात्रों के साथ कार्य करने से इनमें एकता एवं सहयोग की भावना, सामूहिक रुप से उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य क्षमता का वर्धन होगा, जो इन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करेगा।

**2. सदन प्रणाली (House System) प्रक्रिया** :–इस प्रणाली के तहत विद्यालय के सभी छात्रों को चार उप इकाईयों में बांटा जायेगा, जिन्हें सदन (House) कहा जायेगा। सदनों में छात्रों का बंटवारा प्रधानाध्यापक / छात्रावास प्रबंधक के द्वारा इस प्रकार से किया जाएगा, जिससे हर सदन (House)में सभी कक्षाओं के छात्रों का समानुपातिक बंटवारा हो। प्रत्येक सदन (House) की अलग पहचान के लिए सदन का नामकरण विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया गया है। प्रत्येक सदन से एक विशिष्ट रंग एवं मोटो (Motto)संबद्ध किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

| Name of the House | House Colour | Motto |
|---|---|---|
| Dashrath Manjhi House | रेड हाउस (Red House) | **Determination & Perseverance**<br>संकल्प एवं दृढ़ता |
| Birsa Munda House | ब्लू हाउस (Blue House) | **Courage & Empowerment**<br>साहस एवं सशक्तीकरण. |
| Savitribai Phule House | येलो हाउस (Yellow House) | **Education for All**<br>सबके लिए शिक्षा |
| Jagjivan House | ग्रीन हाउस (GreenHouse) | **Equality & Inclusion**<br>समानता एवं समावेश |

3. छात्रों को सदन आवंटित करने की प्रकिया :–प्रधानाध्यापक / छात्रावास प्रबंधक वर्ग शिक्षकों के सहयोग से छात्रों को सदन आवंटित करेंगे। वर्ग शिक्षकों के द्वारा अपने वर्ग के छात्रों की सूची से कमांक–1 से आरोही क्रम में जाते हुए हर छात्र के नाम के आगे एक हाउस अंकित किया जाएगा। दूसरे

क्रमांक के सामने दूसरा हाउस, तीसरे क्रमांक के सामने तीसरा हाउस एवं चौथे क्रमांक के आगे चौथा हाउस अंकित करते हुए सभी वर्ग के छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से एक हाउस आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार सभी छात्रों को चार हाउस समूहों में अलग–अलग किया जाएगा तथा सदनवार छात्रों की सूची तैयार कर उसे विद्यालय/वर्ग सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा। सभी छात्रों को उनके सदन, संबद्ध मोटो के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें सदन के उद्देश्यों एवं कार्यों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रत्येक सदन के नेतृत्व के लिए एक शिक्षक को जिम्मेदारी दी जायेगी। ये प्रभारी शिक्षक उस सदन के "मेन्टोर" होंगे। ये सदन की सभी गतिविधियों में छात्रों का नेतृत्व एवं सहयोग करेंगे। प्रत्येक वर्ष छात्रों का सदन बदल दिया जायेगा।

<u>4. झण्डा</u> :–प्रत्येक सदन के लिए सदन को आवंटित रंग का एक झण्डा होगा, जिस पर आकर्षक रंग संयोजन में उक्त सदन से संबद्ध मोटो अंकित किया जाए।

## 5. सदन (हाउस) के कप्तान एवं सदन (हाउस) के उप कप्तान

चारों सदनों के लिए चार अलग अलग कप्तान एवं उप कप्तान चुने जायेंगे।

<u>(क) हाउस कप्तान/उप कप्तानकी कार्यावधि</u> :–कोई भी छात्र मात्र एक अकादमिक वर्ष के लिए ही कप्तान/उप कप्तान रह सकता है। यदि किसी छात्र का चुनाव अकादमिक वर्ष के बीच में भी होता है, तो उस स्थिति में भी उसका कार्यकाल अकादमिक वर्ष के खत्म होते ही समाप्त हो जायेगा. किसी भी छात्र को दुबारा हाउस कप्तान बनने का अवसर नहीं मिलेगा।

<u>(ख) चयन समिति</u> :–प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी–सह–आवासीय विद्यालय प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक/कप्तान एवं उप कप्तान का चयन हाउस के प्रभारी शिक्षक के सहयोग से करेंगे।

<u>(ग) हाउस कप्तान एवं उप कप्तान की योग्यतायें</u> :–कप्तान एवं उप कप्तान का चयन सदन के उच्च वर्ग के छात्रों में से किया जायेगा।

वैसे छात्र का चयन किया जाएगा, जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो, अनुशासित हो तथा शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में स्वतः स्फूर्त हो। समिति द्वारा कप्तान के चयन में संबंधित छात्र के कार्यक्रमों को आयोजित करने, छात्रों के समूह को सँभालने की क्षमता, जिम्मेदारी, अनुशासन एवं व्यवहार कुशलता आदि गुणों को आधार बनाया जाए।

<u>(घ) उत्तरदायित्व</u> :–कप्तान एवं उप कप्तान अपने हाउस के सदस्यों का नेतृत्व करेंगे, उनसे समन्वय स्थापित करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी में उनका सहयोग करेंगे। वे विद्यालय के अधिकारियों की एवं विद्यालय कप्तान की दैनिक कार्यो में, जैसेः अनुशासन बनाये रखना, परिसर की सफाई, बच्चों के पोशाक जांच करना, नाखून कटे होना, इत्यादि के निरीक्षण में मदद करेंगे।

हाउस कप्तान विद्यालय की अन्य गतिविधियों में पूरे उत्साह से भाग लेंगे तथा अपना पूर्ण सहयोग देंगे। वे अपने हाउस के सदस्यों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उत्साहित करेंगे और उसकी तैयारी में उनकी मदद करेंगे। वे प्रभारी शिक्षक के नेतृत्व में कार्य करेंगे।

<u>(ड) बैज</u> :–प्रत्येक कप्तान अपने सदन के रंग का धातु का बना बैज पहनेंगे, जिसमें सफेद रंग से **"सदन के नाम के साथ हाउस कप्तान"** लिखा होगा। बैज का साइज वृताकार 3 सें0मी0 व्यास का होगा।

<u>6. हाउस की बैठक</u> :– प्रत्येक शनिवार को विद्यालय सत्र के 4:00 बजे अपराह्न से 5:30 बजे अपराह्न में सदन के कप्तानों द्वारा अपने–अपने हाउस की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जायेगी। वे इस बैठक में सर्वप्रथम शैक्षणिक मुद्दा पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात उन गतिविधियों, में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन सुनिश्चित करेंगे तथा, इसके लिए कौन कौन सी तैयारियां करनी है, कैसे करनी है, इत्यादि पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बैठक उस हाउस के प्रभारी शिक्षक के मार्गदर्शन में होगी।

<u>7. प्रातः सभा का आयोजन</u> :–

(क) प्रत्येक सदन (House) के वर्ग–7 से 12 तक के बच्चों द्वारा प्रातः सभा का आयोजन बारी–बारी से साप्ताहिक रुप से किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक माह के प्रारंभ में ही प्रातः सभा आयोजन से संबंधित रोस्टर शारीरिक शिक्षक के सहयोग से निर्धारित कर लिया जाएगा एवं तत्संबंधी सूचना प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित सदन (House) के प्रभारी शिक्षक, सदन के कप्तान एवं उप कप्तान प्रातः सभा की उचित तैयारी कराने में छात्र छात्राओं का पूर्ण सहयोग करेंगे। शिक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यथा संभव सभी छात्रों को मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हो सके।

(ख) विद्यालय में निर्धारित समय पर आयोजित होने वाली प्रातः सभा में हाउस कप्तान/उप कप्तान के नेतृत्व में छात्र सदन–वार भाग लेंगे। प्रातः सभा के पूर्व सभी छात्र विद्यालय की निर्धारित पोशाक में हैं अथवा नहीं आदि की जांच हाउस कप्तान के द्वारा की जाएगी एवं जो छात्र निर्धारित पोशाक में नहीं हैं अथवा सभा से अकारण अनुपस्थित हों, उनका नाम हाउस के प्रभारी शिक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। सभा के पश्चात् हाउस मेन्टॉर के द्वारा उन छात्रों से बात की जाएगी एवं उन्हें निर्धारित पोशाक में प्रातः सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अनुपस्थित छात्रों से हाउस मेन्टॉर निश्चित रुप से मिलेंगे। अस्वस्थता की स्थिति में अस्वस्थ छात्र की चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करेंगे। अकारण प्रातः सभा में अनुपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन हाउस मेन्टॉर के द्वारा प्रधानाध्यापक को दिया जाएगा। जो छात्र लगातार बिना किसी कारण के प्रातः सभा से अनुपस्थित रहते हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।

# अध्याय–IV

## आवासीय विद्यालय में आयोजित खेल–कूद कार्यक्रम

1. प्रत्येक आवासीय विद्यालय में निम्नलिखित खेलकूद कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक एक खेल का आयोजन माह के दूसरे एवं चौथे शुक्रवार दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच किया जाएगा। अगर शुक्रवार को वर्षा हो जाती है तो उक्त कार्यक्रम अगले सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की जायेगी एवं वर्षा से बाधित शुक्रवार को सोमवार वाली पाली की पढ़ाई की जायेगी।–

(क) फुटबॉल (यदि मैदान परिसर उपलब्ध है।)
(ख) खो–खो
(ग) वॉली बॉल
(घ)कबड्डी
(ड़) ट्रैक इवेंट – 100 मीटर, 200 मीटर की दौड़
(च) रिले रेस – 4 × 100 मीटर
(छ) शतरंज
(ज) बैडमिण्टन
(झ) लांग जम्प
(ट) हाई जम्प
(ठ) कैरम
(ड) टेबल–टेनिस

2. खेल कूद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को 4 आयु–समूहों में निम्नवत बांटा गया है। खेल–कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इन्हीं समूहों के मध्य ही किया जाएगा, एवं सभी समूहों से संबंधित खेल विधा में विजेता/उप विजेता आदि का चयन किया जाएगा।

1. Group A : कक्षा 1–3 प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल 8 प्रतिभागी) (ड़ से ड)
2. Group B : कक्षा 4–6 प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल 8 प्रतिभागी) (ड़ से ड)
3. Group C : कक्षा 7–10 प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल 8 प्रतिभागी) (ड़ से ड)
4. Group D : कक्षा 11–12 प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल 8 प्रतिभागी) (ड़ से ड)

क्रम संख्या–1 (क) से (च) भी उपरोक्त की तरह समूह के अधीन ही सदनों के बीच होगा, परंतु प्रतिभागियों की संख्या खेल नियमों के अनुरूप होगी। जिस विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 संचालित नहीं है वहॉ Group C में वर्ग 7–8 तथा Group D में वर्ग 9–10 के प्रतिभागी को सम्मिलित किया जायेगा।

# वार्षिक खेल दिवस

उपरोक्त स्पर्धाओं में सभी सदनों से वर्गीकृत आयु–समूहों से सदन कप्तान, हाउस मेन्टॉर के द्वारा प्रतिभागी छात्रों का चयन किया जाएगा।सदन के द्वारा प्रतिभागी छात्रों के चयन का आधार पूरे वर्ष छात्रों के द्वारा खेल–कूद में उनका प्रदर्शन होगा।

सभी सदन के प्रत्येक समूहों से चयनित प्रतिभागियों के मध्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया जाएगा। सामूहिक स्पर्धाओं में प्रथम आने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा।

विद्यालय स्तरीय स्पर्धा निम्न सांकेतिक तालिका अनुरुप आयोजित कराई जाएगी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.08.2023 (शुक्रवार) | ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 एवं ग्रूप 4 | 100 एवं 200 मीटर | 3:00 बजे –5:30 बजे |
| 25.08.2023 (शुक्रवार) | ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 एवं ग्रूप 4 | लंबी कूद, ऊँची कूद | 3:00 बजे –5:30 बजे |
| 08.09.2023 (शुक्रवार) | ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 एवं ग्रूप 4 | शतरंज, कब्ड्डी | 3:00 बजे –5:30 बजे |
| 22.09.2023 (शुक्रवार) | ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 एवं ग्रूप 4 | बैडमिंटन (Single & Double), खो–खो, | 3:00 बजे –5:30 बजे |
| 13.10.2023 (शुक्रवार) | ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 एवं ग्रूप 4 | फूटबॉल एवं बॉलीवॉल | 3:00 बजे –5:30 बजे |

(क) सामूहिक खेलों में प्रथम राउंड में Inter House प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आपस में प्रतियोगी सदनों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

(ख) दूसरे राउंड में इन दोनों प्रतियोगिताओं के विजेता टीम के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, तथा विजेता टीम चयनित किया जाएगा।

(ग) व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्पर्धाओं में विजेता छात्र एवं टीम के प्रदर्शन के आधार पर सदन, विजेता जिस सदन के छात्र हैं, को भी अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रथम स्थान के लिए 5 अंक, द्वितीय स्थान के लिए 3 अंक तथा तृतीय स्थान के लिए 1 अंक दिया जाएगा।

(घ) सदनों द्वारा अर्जित अंक का संधारण पुस्तकालय प्रभारी (Library Incharge) द्वारा किया जाएगा एवं हर शनिवार को नोटिस बोर्ड पर अद्यतन किया जायेगा।

(ङ) सदन को प्राप्त अंकों के आधार पर खेल–कूद प्रतियोगिता में प्रदर्शन के लिए विजेता सदन का चयन किया जाएगा।

## 4.खेल दिवस

(क) सभी आवासीय विद्यालयों में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। वार्षिक खेल दिवस के आयोजन में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी/अन्य महानुभाव अथवा उस जिले, जहां विद्यालय अवस्थित है, के किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को खेल दिवस के आयोजन में अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जाएगा।

खेल दिवस के आयोजन के पूर्व में विद्यालय में सभी खेल–स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा एवं विजेताओं का चयन किया जाएगा।

(ख) खेल दिवस के आयोजन के लिए पूर्व से ही जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को आमंत्रण पत्र दे देंगे।

(ग) आगंतुक मुख्य अतिथि के लिए गुलदस्ता/मोमेंटो आदि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी।

(घ) विद्यालय के सभी छात्र पोशाक में रहेंगे।

(ड़) खेल–दिवस के लिए मार्च पास्ट की तैयारी पूर्व से ही कर ली जाएगी। मार्च पास्ट सदन–वार किया जाएगा एवं सदन के कप्तान सदन के झंडे के साथ मार्च पास्ट का नेतृत्व करेंगे। (मुख्य अतिथि के आगमन पर विद्यालय के बैंड के साथ NCC, Scout & Guide के छात्र आगे रहेग)। सभी हाउस कप्तान मुख्य अतिथि के स्वागत में स्कूल कप्तान के नेतृत्व में स्कॉट करेंगें। मार्च पास्ट में खेल–कूद प्रतियोगिताओं में जिस सदन को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुआ है, वह मार्च पास्ट में सबसे पहले रहेगा। इसी तरह अन्य सदनों को मार्च पास्ट में विन्यस्त किया जाएगा।

(च) शैक्षणिक सत्र के सभी खेल विजाताओं को उसी खेल दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाएगा।

(छ) खेल दिवस का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

| क्र0 | कार्यक्रम | समय |
|---|---|---|
| 1 | अतिथियों का स्वागत | 3 मिनट |
| 2 | मुख्य अतिथि के द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा/छायाचित्र पर माल्यार्पण | 3 मिनट |
| 3 | विद्यालय गीत | 4 मिनट |
| 4 | मार्च पास्ट | 20 मिनट |
| 5 | उच्चवर्गीय कक्षाओं के छात्रों के द्वारा ड्रिल/पी0टी0 | 20 मिनट |
| 6 | पुरस्कार वितरण | 30 मिनट |
| 7 | खेल में सर्वोच्च स्थान लाने वाले सदन को रोलिंग शील्ड | 3 मिनट |
| 8 | विशिष्ट अतिथि का संबोधन | 20 मिनट |
| 9 | धन्यवाद ज्ञापन | 3 मिनट |

विद्यालय के शारीरिक शिक्षक खेल–दिवस के आयोजन के लिए जिम्मेवार होंगे। सभी सदन के मेन्टॉर तथा सदन–कप्तान आयोजन में शारीरिक शिक्षक को सहयोग करेंगे। प्रधानाध्यापक एवं छात्रावास प्रबंधक खेल दिवस एवं पूर्व के कार्यक्रमों की तैयारी का दैनिक रुप से अनुश्रवण करेंगे।

# अध्याय–V

## सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियां

1. छात्रों के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी होता है। सभी आवासीय विद्यालयों के दैनिक कैलेण्डर में गैर शैक्षणिक गतिविधियों (Co- Curricular Activities) के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है।

आवासीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है–

| | |
|---|---|
| (क) एलोक्यूशन – हिंदी और अंग्रेजी में अलग–अलग | – 5 मिनट प्रत्येक प्रतिभागी |
| (ख) कविता पाठ – हिंदी और अंग्रेजी में अलग–अलग | – 5 मिनट प्रत्येक प्रतिभागी |
| (ग) Declamation(भाषण)– अंग्रेजी–हिन्दी एक साथ | – 10 मिनट प्रत्येक प्रतिभागी |
| (घ) गायन (प्रत्येक प्रतिभागी की अवधि 5 मिनट) | –30 मिनट |
| (ड़) चित्रकला | –1 घण्टा |
| (च) निबंध लेखन – हिंदी और अंग्रेजी अलग–अलग | –1 घण्टा |
| (छ) प्रश्नोत्तरी | –1 घण्टा |
| (ज) CrossWord | –30 मिनट |

2. उपरोक्त कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं प्रत्येक पहले और तीसरे शुक्रवार को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी।

(क) <u>विषय–वस्तु का चयन</u>:– उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए विषय–वस्तु का चयन प्रासंगिकता के आधार पर विद्यालय के शिक्षक समूह द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रधानाध्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिएकिसी शिक्षक को प्रभारी शिक्षक नामित कर लें।

(ख) <u>कार्यक्रम की तिथि की घोषणा</u> :–चयनित विषय–वस्तु एवं कार्यक्रम की तिथि की घोषणा कम से कम 1 माह पूर्व कर दी जाएगी।

(ग) <u>प्रतिभागियों का चयन</u> :–कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यालय के छात्रों को चार समूहों में विभाजित किया जाएगा।

- ग्रुप–I कक्षा I-III प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल आठ प्रतिभागी)
- ग्रुप–II कक्षा IV-VI प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल आठ प्रतिभागी)
- ग्रुप–III कक्षा VII-X प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल आठ प्रतिभागी)
- ग्रुप–IV कक्षा XI-XII प्रत्येक सदन से 2 छात्र (कुल आठ प्रतिभागी)

जिस विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12 संचालित नहीं है वहॉ Group C में वर्ग 7–8 तथा Group D में वर्ग 9–10 के प्रतिभागी को सम्मिलित किया जायेगा।

Mentor, सदन कप्तान एवं सदन के उप कप्तान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने अपने सदन से प्रत्येक ग्रुप से दो दो छात्रों का चयन करेंगे।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्र पहले से तैयारी शुरु करेंगें और निर्धारित दिन पर निर्णायक मंडलों और दर्शकों के सामने अपना कार्यकम प्रस्तुत करेंगें। सदन कप्तान एवं सदन उप कप्तान प्रतिभागियों की तैयारी में सहयोग करेंगे।

(घ)<u>भागीदारी के लिए पात्रता</u> :–विद्यालय के सभी इच्छुक छात्र।

(ड़) <u>छात्रों का पंजीकरण</u> :–भाग लेने वाले छात्रों के तिथि की घोषणा एक सप्ताह के अंदर अपने समूह के प्रभारी शिक्षक के पास अपना नाम दर्ज कराएंगे।

(च) प्रत्येक ग्रुप से तीन विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय का चयन किया जायेगा।

(छ) विजेता छात्र की संख्या के आधार पर उनसे संबद्ध सदन को भी House Point मिलेंगे। सदन को आवंटित House Point की गणना में प्रथम पुरस्कार के लिए 5 अंक, द्वितीय पुरस्कार के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक तृतीय पुरस्कार के लिए 1 अंक आवंटित किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त सदन को विजेता घोषित किया जाएगा।

3 प्रतियोगिता आयोजित करने की तिथि निम्नवत है :–

| | | |
|---|---|---|
| क | निबंध प्रतियोगिता | :– 03 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) |
| ख | चित्रकला | :– 03 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) |
| ग | गायन | :– 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) लंच के पहले ग्रुप–I एवं ग्रुप–II तथा लंच के बाद ग्रुप–III एवं ग्रुप–IV |
| घ | Declamation | :– 17 नवम्बर, 2023 (शुक्रवार) (पहले ग्रुप– I एवं ग्रुप– II तथा लंच के बाद ग्रुप–III एवं ग्रुप– IV) |
| ङ | कविता | :– 01 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार)–हिन्दी एवं अंग्रेजी में पूरा दिन। |
| च | सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी | 01 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार) |
| छ | वक्तृत्व कला (elocution) | :– 15 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार)– हिन्दी एवं अंग्रेजी में। |
| ज | Cross Word | :– 19 जनवरी, 2024 (शुक्रवार) |

## 4. विद्यालय वार्षिकोत्सव

(क) सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वार्षिकोत्सव के लिए जिलाधिकारी अथवा जिला के किसी वरीय पदाधिकारी को मुख्य अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जाएगा। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सदन के हाउस कप्तान को पुरस्कृत किया जाएगा।

(ख) वार्षिकोत्सव के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की होगी। छात्रावास प्रबंधक एवं विद्यालय के अन्य शिक्षक इस कार्य में प्रधानाध्यापक को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। प्रधानाध्यापक यथासंभव वार्षिकोत्सव में विद्यालय के पूर्ववर्ती ऐसे छात्रों को भी आमंत्रित करेंगे, जिनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया गया हो।

(ग) वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विद्यालय प्रातः सभा आयोजन, खेल–कूद कार्यक्रम, गैर शैक्षणिक कार्यकमों में व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धाओं मे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदन (हाउस) को रोलिंग–शील्ड प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सदन का चयन वर्ष भर आयोजित की जाने वाली

गतिविधियों में उक्त सदन के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक गतिविधि में प्रथम आने वाले छात्र से संबंद्ध सदन को 5 अंक, द्वितीय स्थान के लिए 3 एवं तृतीय स्थान के लिए 1 अंक दिया जाएगा। सदनों के मध्य स्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए नोटिस बोर्ड पर सदनों को प्राप्त समेकित अंक को प्रदर्शित किया जाएगा।

वार्षिकोत्सव में गत वार्षिक परीक्षा में अकादमिक रुप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र को व्यक्गित रुप से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित/प्रात्साहित किया जाएगा।

## (घ) वार्षिकोत्सव का मिनट टू मिनट कार्यक्रम

- अतिथिओं का स्वागत :– 3 मिनट
- विशिष्ट अतिथि द्वारा बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेदकर की प्रतिमा/छायाचित्र पर माल्यार्पण :– 5 मिनट
- स्वागत गायन :– 5 मिनट
- सांस्कृतिक कार्यक्रम (गायन, नृत्य, स्किट, प्रतिभा प्रदर्शन इत्यादि) :– 60 मिनट
- शैक्षणिक सत्र के सांस्कृतिक, गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक पूर्व के आयोजनों के पुरस्कार, प्रमाण पत्र वितरण। :– 25 मिनट
- प्रातः सभा अकादमिक एवं सांस्कृतिक कार्यकमों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले सदन को रौलिंग शील्ड दिया जायेगा। :– 5 मिनट
- विशिष्ट अतिथि का भाषण :– 20 मिनट
- धन्यवाद ज्ञापन :– 5 मिनट
- कार्यक्रम की समाप्ति–राष्ट्रगान के साथ :– 5 मिनट

# अध्याय–VI

## विद्यालय कप्तान तथा वर्ग कप्तान

सदन कप्तान की तरह ही विद्यालय के लिए एक कप्तान नामित किया जाएगा। वह छात्रों एवं विद्यालय प्रबंधन के मध्य समन्वय स्थापित करेगा।

1. कार्यावधिः– कप्तान मात्र एक अकादमिक वर्ष के लिए ही नामित किया जाएगा। कोई भी छात्र दुबारा कप्तान नहीं बनाया जाएगा।

2. चयन समितिः– कप्तान का चयन छात्रावास प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाएगा।

3. योग्यताः– कप्तान का चयन सदन के उच्च वर्ग के छात्रों में से किया जाएगा। वैसे छात्र जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो, अनुशासित हो तथा शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक गतिविधियों में स्वतः स्फूर्त हो। समिति द्वारा कप्तान के चयन में सबंधित छात्र के कार्यक्रमों को आयोजित करने, समूह को संभालने की क्षमता, जिम्मेदारी, व्यवहार कुशलता आदि को आधार बनाया जाए।

4. उत्तरदायित्वः– कप्तान विद्यालय के छात्रों का नेतृत्व करेंगे। प्रबंधन एवं छात्रों के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। विद्यालय में सामान्य अनुशासन तथा स्वच्छता बनाए रखने में प्रबंधन को सहयोग करेंगे विद्यालय मार्च–पास्ट में विद्यालय के कप्तान सभी छात्रों का नेतृत्व करेंगे।

5. बैजः– विद्यालय कप्तान सफेद रंग के धातु का बैज पहनेंगे, जिसमें नीले रंग से **SCHOOL CAPTAIN** लिखा होगा। बैज पोर्सलीन/फाईबर/धातु से निर्मित आयताकार होगा, जिसका परिमाप 7cmx1.5cm का होगा।

6. वर्ग कप्तानः– प्रत्येक कक्षा के लिए वर्ग शिक्षक शैक्षणिक रुप से अच्छे एवं अनुशासित छात्र को वर्ग कप्तान नामित करेंगे। वर्ग कप्तान शिक्षक की अनुपस्थिति की अवधि में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करेंगे। वर्ग कप्तान का चयन प्रत्येक आवधिक परीक्षा (Term Examination) के बाद की जायगी तथा वर्ग कप्तान की अवधि एक आवधिक परीक्षा (Term Examination) के बाद से अगले आवधिक परीक्षा (Term Examination) तक के लिए होगी।

7. बैजः– वर्ग कप्तान सफेद रंग के धातु के पोर्सलीन/फाईबर बैज जिसकी लंबाई 7 सें0मी0 एवं चौड़ाई डेढ़ सें0मी होगी, जिसपर काले रंग से कक्षा सं0 के साथ छात्रनायक अंकित होगा, पहनेंगे।

# अध्याय–VII

## विद्यालय के प्राचार्य/अधीक्षकों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

*प्रधानाध्यापक/अधीक्षक आवासीय विद्यालयों के कुशल संचालन के लिए निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे –*

1. <u>अभिलेखों का रख–रखाव</u> :– आवासीय विद्यालयों में सभी दस्तावेज सुव्यवस्थित होना चाहिए। निम्नलिखित पंजी अनिवार्य रुप से संधारित होंगें।

   (क) प्रवेश पंजी

   (ख) शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी एवं छात्रों के लिए, बायोमेट्रिक प्रणाली (लागू होने पर) के साथ–साथ उपस्थिति पंजी भी संधारित करना अनिवार्य है।

   (ग) एसेट पंजी/उपकरण आदि से संबंधित सूची पंजी ।

   (घ) अवकाश पंजी।

   (ङ) आगंतुक पंजी।

   (च) शिकायत पंजी एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पंजी (दोनों एक ही पंजी में रहेगा, जो छात्रावास अधीक्षक इसे अपने संरक्षण में रखेंगे।)

   (छ) पुस्कालय पुस्तक वितरण पंजी (लाइब्रेरी बुक्स इश्यू रजिस्टर)।

   (ज) कार्यक्रम पंजी।

   (झ) खेल सामग्री जारी करने का पंजी

   (ट) मेस रिकॉर्ड पंजी (जो अधीक्षक के पास रहेगा।)

   (ठ) अधीक्षक/विभाग द्वारा जारी किये गये पत्रों/नोटिस/आदेशों का रिकॉर्ड।

   (ड) समय समय पर विभाग द्वारा अपेक्षित कोई अन्य रजिस्टर/रिकॉर्ड।

   (ढ) निरीक्षण पंजी।

   (ण) अन्य आवश्यक पंजी जो विद्यालय के संचालन हेतु आवश्यक हो।

2. छात्रों के लिए "क्या करें" और "क्या न करें" को आवासीय विद्यालयों के बीच परिभाषित और प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इन्हें नोटिस बोर्ड सहित आवासीय विद्यालयों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा।

3. प्राथमिक चिकित्सा किट उचित जगह पर होना चाहिए। (विभागीय पत्रांक 1240 दिनांक 15.04.202 की कंडिका–3(क)

4. विद्यालय/छात्रावास के हर मंजिल पर अग्निशामक यंत्र लगाना आवश्यक है। यंत्र के Expiry Date की जांच आवश्यक है। कर्मचारियों और वरिष्ठ छात्रों को इनके उपयोग करने की प्रकिया पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिला अग्निशमन कार्यालय से इन यंत्रों का वार्षिक जांच कराया जाना आवश्यक है। (विभागीय पत्रांक 1240 दिनांक 15.04.2021 की कंडिका–3(च).

5. <u>वाटर प्यूरीफायर</u> :– प्रत्येक तल पर एक आर.ओ. आवश्यक है। (विभागीय पत्रांक 2992 दिनांक 16.09.2021 की कंडिका–5 **(II) (iii)**

6. <u>सी.सी.टी.वी.</u> :– हर मंजिल पर और परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना आवश्यक है। इसके माध्यम से विद्यालय एवं छात्रावास में नियमित निगरानी की जानी चाहिए। ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी की भी निजता का हनन न हो। (पत्रांक 2009 दिनांक 02.08.2021 की कंडिका–6)

7. <u>सुझाव पेटी/शिकायत पेटी</u> :–मुख्य स्थान पर एक सुझाव पेटी/शिकायत पेटी लगायी जाय। शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर ससमय होना चाहिए। छात्रों की शिकायतों/विवादों आदि का सख्ती से निपटारा होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो मुद्दों को उच्चाधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। (विभागीय पत्रांक 2992 दिनांक 16.09.2021 की कंडिका–7 **(ii) (xii)**। सुझाव पेटी एवं शिकायत पेटी की चाभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी के पास रहेगी। इन पेटियों को उनके द्वारा प्रतिसप्ताह एक बार खोला जायेगा। शिकायतों का निराकरण किया जायेगा एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा।

8. आवासीय विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए छात्रों की विभिन्न समितियों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक समिति को अलग अलग कार्य सौंपे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए खाद्य समिति, खेल समिति, पुस्तकालय समिति, बिजली और जल बचाव समिति, बागवानी समिति, आदि। इस प्रकिया से आवासीय विद्यालयों के संचालन में सुविधा होगी। छात्रों में जिम्मेवारी की भावना भी उत्पन्न होगी और इसके रख रखाव में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। समिति का अधिकतम कार्यकाल एक साल का होगा। अलग अलग समितियों में एक ही छात्र को दोहराया नहीं जायेगा।

9. <u>महत्वपूर्ण नंबर जैसे</u> :– (1). सचिव, (2.) निदेशक, (3.) जिला पदाधिकारी, (4.) पुलिस अधीक्षक, (5) उप निदेशक, (6.) जिला कल्याण पदाधिकारी, (7) एम्बुलेंस, (8) नजदीकी थाना (9) अग्निशमन केन्द्र आदि के नम्बरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

10. महत्वपूर्ण स्थानों पर शैक्षणिक कैलेण्डर प्रदर्शित कर इसका पालन किया जायेगा। (विभागीय पत्रांक 1240 दिनांक 15.04.202 की कंडिका–3(छ)

11. विभाग के निदेशानुसार सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ड्यूटी चार्ट को संबंधित स्थानों पर प्रदर्शित किया जायेगा। (विभागीय पत्रांक 2992 दिनांक 16.09.2021 की कंडिका–**5(ii)(iii))**

12. विभागीय आवासीय विद्यालयों एवं जिला के अन्य आवासीय विद्यालयों के साथ नियमित रुप से प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यकमों, इत्यादि को आयोजित किये जा सकते हैं।

13. खेलकूद और खेल से संबंधित गतिविधियों की देखरेख के लिए छात्रों में से एक खेल समिति का गठन किया जा सकता है। गेम किट रजिस्टर (पंजी) में छात्रों को निर्गत किये गए, गेम किट का रिकॉर्ड रखा जायेगा।

14. **हरा भरा और प्रदूषण मुक्त परिसर** :– परिसर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के हर संभव प्रयास किया जायेगा। बागवानी में रुचि रखने वाले छात्रों में से बागवानी समिति का गठन किया जा सकता है। यह समिति पूर्ण रुप से इसकी जिम्मेवारी लेगी।

15. आवासीय विद्यालयों को कम से कम एक स्वास्थ्य केन्द्र से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्य किया जा सके।

16. सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से विद्यार्थियों का मासिक/त्रैमासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। बिहार सरकार के माध्यम से सभी छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जायेगा। (Weekly Iron and Folic Acid Supplementation) (WIFS)कार्यकम के तहत वर्ग 6–12 वर्ग के सभी बच्चे (बालक + बालिकाओं) को साप्ताहिक Iron and Folic Acidकी गोलिया¡ (स्वास्थ्य विभाग के सहयोग एवं परामर्श से) दी जायेगी।

17. प्रत्येक सोमवार को बच्चों के नाखून सफाई, कपड़ों की सफाई, बाल कटाई, इत्यादि की जांच की जायेगी।

18. परिसर में रैगिंग करना दण्डनीय अपराध है। दोषी छात्रों के खिलाफ Anti Ragging Actके तहत् विधिसम्मवत कार्रवाई की जायेगी।

19. अपने बच्चों के नामांकन के समय अभिभावक उन्हें ससमय पुस्तक, पोशाक, साबुन, तेल एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे, के संबंध में उनसे स्व–घोषणा पत्र लिया जायेगा।

20. **शिक्षक संगोष्ठी** :– प्रत्येक शनिवार को 2:00 बजे से 5:30 बजे अपराह्न के बीच शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जायेगी। चर्चा के मुख्य विषय होंगे :–

(क) मासिक Lesson Plan, जिसे प्रधानाध्यापक से अनुमोदित कराया जायेगा।

(ख)सामान्य से कमजोर छात्रों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था।

(ग) विद्यालय के विकास, प्रशासन के संबंध में चर्चा।

(घ) छात्रों का अनुशासन

(ड़) आगामी शुक्रवार, शनिवार को होने वाले कार्यक्रम इत्यादि।

21. **अभिभावक–शिक्षक संगोष्ठी** :– प्रत्येक परीक्षा की समाप्ति के अधिकतम 14वें दिन शिक्षक– अभिभावक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी जिसमें विद्यालय के प्रबंधक (प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी) निश्चित रुप से भाग लेंगे। संगोष्ठी में

(1) शिक्षक अभिभावक को उनके बच्चों के प्रगति एवं उनके लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताऐंगे तथा विषयवार प्राप्त अंकों की जानकारी देंगे। छात्रों का Progress Report Card(प्रपत्र संलग्न) शिक्षक अपने साथ रखेंगे।

(2) स्वास्थ्य(Health Card)पर चर्चा करेंगे।

(3) खेल–कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों में छात्र की भागीदारी, प्रतिस्पर्धा की भावना इत्यादि पर चर्चा करेंगे।

(4) छात्र की स्कूल डायरी में यदि अध्यापक द्वारा कोई विशेष टिप्पणी की गई हो, उसपर चर्चा करेंगे।

22. जब तक प्रयोगशाला स्थापित नहीं हो जाता हो तब तक ऑनलाईन कक्षा द्वारा प्रैक्टिकल की जानकारी दी जाएगी। अगर संभव हो तो जिला पदाधिकारी की अनुमति से निकटतम् सामान्य विद्यालयों में ले जाकर प्रैक्टिकल कराया जाएगा।

23. अर्द्धवार्षिक परीक्षा में जो छात्र कमजोर हों, उन्हें अलग से विशेष कक्षा–(9, 10, 11 एवं 12 के लिए) आयोजित कर पढ़ाया जाएगा।

24. स्काउट गाईड एवं एन.सी.सी प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रधानाध्यापक / जिला कल्याण पदाधिकारी प्रयास करेंगे। जिसका पता एवं संपर्क सूत्र निम्न है–

Bihar State Bharat Scout & Guide, Budh Marg, Chhajju Bagh, Patna, Bihar-800001
Website- www.bsgindia.org
E-mail- bsg.shqbihar@gmail.com

25. माह अप्रैल,2023 एवं नवम्बर,2023 में सुविधा अनुसार विद्यालय अनुरक्षण समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।